





न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क	<p>फर्द अहकाम</p> <p>सु.नं. 36/17 तारीख 26.5.17</p> <p>उपनाम - मनीषा बनाम पुष्कराजकुमार शर्मा गोरड़ा</p> <p>दादा बाबत धोषणा खोतकारी व स्थायी निषेधाज्ञा पारदी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने दावा बाबत धोषणा खोतकारी व स्थायी निषेधाज्ञा प्रेषित गया। प्रस्तुत दस्तावेजगत व शपथपत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रीजिस्टर कर प्रतिवादीगण को अग्नि सभस से तलब कर दिनांक 26.5.17 को पेश हो।</p> <p> उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p> <p>26.5.17</p> <p>वादी वकील उपर। प्रतिवादी नं. 1 का 3 की ओर से श्री सुरेशचंद्र शर्मा Adv. ने कालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 4 की ओर से उनके पुत्रम उपस्थित होकर जबकि पेश किया। प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने उनकी ओर से कालतनामा पेश नहीं होने की स्थिति में जबकि उपस्थित नहीं किया जाता है। प्रतिवादी 4, 7, 8 के व्यवहार उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 5, 6 के सम्बन्ध में लगील जा रहा नहीं। अन्तजा (लगातार) व जबकि पेश करने दि. 23.6.17 को पेश हो।</p>
---	--

1483-90
1-5-17

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
3.3.20	वादी वकील उप0) प्रतिवादी नंं 1 व 3 कावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नंं 2 श्रीराम के फौत होने की तागील कार्रगिक की रिपोर्ट आष हुई है वादी वकील इनके बायम मुकाम की दए व जोरिस पेश करे वास्ते दए पेश कले व तलबी कले दिनांक 8.4.20 को पेश हो <div style="text-align: right;">  </div>
16.9.20	लाकडाउन के कारण अवरल पेशी से पेश हुई वकील उभयपस उप0) चार्जिंग पत्र 022 R. 4 मय जोरिस पेश कले दिनांक 23.10.20 को पेश हो <div style="text-align: right;">  </div>
23.10.20	पत्राबली पेश हुई वादी वकील उपस्थित नहीं है कई बार कक-कक का आवाज दिलवाई गडी किट भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्राबली केवल शुमार होकर नम्बर से कम हो कर दाखिल दफता हो <div style="text-align: right;">  </div>

(दुर्ग प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करोली